

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 01-09-2025

### विषय सूची

- » चीन और भारत द्वारा 'प्रतिद्वंद्वी नहीं, भागीदार' बनने का संकल्प: SCO शिखर सम्मेलन
- » राजस्थान में नया धर्मांतरण विरोधी विधेयक प्रस्तावित
- » चिकित्सा पर्यटन और प्रवासी भारतीय (NRIs)
- » भारत के उच्च उत्सर्जन क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन
- » मानसून की तीव्रता के बीच उर्वरक की कमी
- » एंड्रॉइड पैकेज किट (APK) धोखाधड़ी में वृद्धि
- » एआई, अकेलापन और साथी का भ्रम

### संक्षिप्त समाचार

- » जनसंख्या जनगणना-2027
- » "आदि वाणी" का बीटा संस्करण
- » गुजरात में भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग प्रणाली
- » ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मानदंडों में परिवर्तन
- » ओर्कासि
- » ब्लू ड्रैगन
- » रेमन मैसेसे पुरस्कार

## चीन और भारत द्वारा 'प्रतिद्वंद्वी नहीं, भागीदार' बनने का संकल्प: SCO शिखर सम्मेलन

### संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात तिआनजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई।

### एससीओ शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

- उच्च स्तरीय संवाद:** दोनों नेताओं ने मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति का स्वागत किया।
  - यह दोहराया गया कि वे प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि विकास सहयोगी हैं; मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए।
- सीमा मुद्दे:** नेताओं ने 2024 में सफल सीमा विघटन और तब से शांति बनाए रखने को रेखांकित किया।

### BORDER MILESTONES

**OCTOBER 2024:** Border patrol deal restores pre-2020 rights in sensitive areas like Depsang Plains and Demchok.

**JUNE 2025:** At Defence Ministers' meeting, India seeks "structured road-map" for better border management.

**AUGUST 2025:** 24th round of boundary talks held with Chinese FM Wang Yi's visit; focus on easing tensions, boosting economic ties and addressing India's concerns over Chinese export curbs. Both pledge to maintain 'peace and tranquility' along the LAC.

- जन-जन संपर्क:** प्रत्यक्ष उड़ानों और वीजा सुविधा के माध्यम से आदान-प्रदान बढ़ाने पर सहमति।
  - कैलाश मानसरोवर यात्रा की पुनः शुरुआत और पर्यटक वीजा को आधार बनाकर आगे बढ़ने की बात।
- आर्थिक और व्यापार सहयोग:** दोनों अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक व्यापार को स्थिर करने में भूमिका को मान्यता दी गई।
- बहुपक्षीय सहयोग:** प्रधानमंत्री ने चीन की एससीओ अध्यक्षता और तिआनजिन शिखर सम्मेलन का समर्थन किया।

- राष्ट्रपति शी को भारत में 2026 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया।

### शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- शंघाई फाइब की शुरुआत 1996 में चार पूर्व सोवियत गणराज्यों और चीन के बीच सीमा निर्धारण और सैन्यीकरण कम करने की वार्ताओं से हुई।
- सदस्य:** कजाखस्तान, चीन, किर्गिजस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसे एससीओ नाम दिया गया।
- उद्देश्य:** मध्य एशिया क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- वर्तमान सदस्य (10):** चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, और चार मध्य एशियाई देश — कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
  - भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बन गया और 2023 में इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर ली।
  - सदस्य देश वैश्विक GDP का लगभग 30% और विश्व जनसंख्या का लगभग 40% योगदान करते हैं।
- पर्यवेक्षक देश:** अफगानिस्तान और मंगोलिया।
- भाषा:** एससीओ की आधिकारिक भाषाएं — रूसी और चीनी।
- संरचना:** सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था — राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (CHS), जो वर्ष में एक बार मिलती है।
  - संगठन की दो स्थायी संस्थाएं हैं — बीजिंग में सचिवालय और ताशकुंद में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।

### भारत-चीन संबंध

- 2025 में भारत-चीन राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
- ऐतिहासिक तनाव:**
  - 1962 के भारत-चीन युद्ध से संबंधों में तनाव, हालिया संघर्षों और अविश्वास से गहराया।

- ▲ 2020: गलवान घाटी के संघर्ष के पश्चात भारत ने चीनी निवेशों पर रोक लगाई, चीनी ऐप्स (जैसे TikTok) पर प्रतिबंध लगाया, और चीन के लिए उड़ानें बंद कीं।
- **व्यापार संबंध:**
  - ▲ चीन वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा।
  - ▲ कुल द्विपक्षीय व्यापार US\$131.84 बिलियन रहा, जिसमें भारत का व्यापार घाटा US\$99.2 बिलियन तक बढ़ा।
- **सक्रीय तंत्र:**
  - ▲ सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि (SR) और परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) जैसे तंत्र सक्रिय हैं।

### हालिया घटनाक्रम:

- 2024 में पूर्वी लद्दाख में सफल विघटन की घोषणा।
- 2024 ब्रिक्स बैठक में मोदी और शी ने “आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता” पर बल दिया।
- **चिंता के क्षेत्र सीमा तनाव:**
- 2,000 मील से अधिक फैला अनसुलझा सीमा विवाद, बार-बार संघर्षों से चिह्नित।
- डोकलाम (2017), गलवान घाटी (2020), और पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश) में घटनाएं।



- **सैन्य ढांचा:**
  - ▲ दोनों देशों ने सीमा पर सड़कों, रेलवे और हवाई पट्टियों के साथ भारी सैन्यीकरण किया है।
- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):**

- ▲ भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को लेकर BRI पर आपत्ति व्यक्त की है, जो भारत के क्षेत्र से होकर गुजरता है।
- **व्यापार असंतुलन:**
  - ▲ राजनीतिक रूप से वांछनीय होते हुए भी व्यापार निर्भरता को कम करना जटिल है — चीन की आर्थिक शक्ति और भारत की विदेशी निवेश की आवश्यकता के कारण।
- **पड़ोसी क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति:**
  - ▲ **श्रीलंका:** हंबनटोटा बंदगाह और तेल रिफाइनरी में निवेश से भारत को चिंता।
  - ▲ **नेपाल:** पोखरा हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश से भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती।
  - ▲ **बांग्लादेश:** क्रांति समझौतों सहित चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की क्षेत्रीय भूमिका को खतरे में डालता है।
  - ▲ **म्यांमार:** चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन की गहरी भागीदारी भारत के पड़ोस में उसकी उपस्थिति को मजबूत करती है।

### आगे की राह

- तिआनजिन बैठक 2020 गलवान संघर्ष के बाद एलएसी पर स्थिरता पुनर्स्थापित करने की दिशा में संतुलित प्रगति को दर्शाती है।
- जैसे-जैसे भारत और चीन आपसी विश्वास बनाने की ओर बढ़ते हैं, एशियाई सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में दोनों देशों के इरादों को बेहतर समन्वयित करने के लिए सतत संवाद आवश्यक होगा।

Source: PIB

## राजस्थान में नया धर्मांतरण विरोधी विधेयक प्रस्तावित

### संदर्भ

- राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित ‘राजस्थान अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक, 2025’ के अंतर्गत कठोर प्रावधानों की घोषणा की है।

## नए विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **सामान्य अपराध:** अवैध धर्मांतरण पर 7 से 14 वर्ष की सजा और न्यूनतम ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। (पूर्व प्रावधान: 1 से 5 वर्ष की सजा और ₹15,000 जुर्माना)
- **संवेदनशील वर्ग:** यदि धर्मांतरित व्यक्ति नाबालिंग, महिला, दिव्यांग या अनुसूचित जाति/जनजाति से है, तो सजा 10 से 20 वर्ष और ₹10 लाख जुर्माना होगा।
- **सामूहिक धर्मांतरण:** सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में दोषियों को 20 वर्ष से आजीवन कारावास और न्यूनतम ₹25 लाख जुर्माना भुगतना होगा।
- **स्वैच्छिक धर्मांतरण की प्रक्रिया:**
  - व्यक्ति को धर्मांतरण से 60 दिन पूर्व ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) को घोषणा पत्र देना होगा।
  - धर्मांतरण कराने वाले (पुजारी/आयोजक) को 30 दिन पूर्व सूचना देनी होगी।
  - DM धर्मांतरण की इच्छा की पुष्टि हेतु पुलिस जांच का आदेश देगा।
  - धर्मांतरण के बाद व्यक्ति को 21 दिन के अंदर DM के समक्ष उपस्थित होकर अपनी पहचान और घोषणा की पुष्टि करनी होगी।
- **“प्रलोभन” की विस्तृत परिभाषा:** विधेयक में प्रलोभन को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है — बेहतर जीवनशैली, दैवीय आशीर्वाद, भौतिक लाभ, या धर्मिक संस्था द्वारा निःशुल्क शिक्षा का वादा भी इसमें शामिल है।
- **परिवार द्वारा एफआईआर:** यदि किसी रक्त संबंधी को अवैध धर्मांतरण का संदेह हो, तो वे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
- **पुनरावृत्ति अपराध:** पुनः दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और ₹50 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है।
  - राज्य सरकार संगठन का पंजीकरण रद्द कर सकती है, अनुदान रोक सकती है, और अवैध धर्मांतरण में प्रयुक्त संपत्ति को जब्त या ध्वस्त कर सकती है।

## चिंताएँ

- **साक्ष्य का भार:** आरोपी को अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी होगी, जिससे सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती बन जाते हैं।
- **प्रावधानों का दुरुपयोग:** आलोचकों का कहना है कि विधेयक के कठोर प्रावधान और साक्ष्य भार के उलटने से अल्पसंख्यकों और अंतरराष्ट्रीय जोड़ों को परेशान करने के लिए इसका दुरुपयोग हो सकता है।

**Source: IE**

## चिकित्सा पर्यटन और प्रवासी भारतीय (NRIs)

### संदर्भ

- मेडिकल टूरिज्म वर्तमान में तीव्रता से बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और लाखों प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए समयबद्ध, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता के कारण आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है।

### भारत में मेडिकल टूरिज्म के बारे में

- मेडिकल टूरिज्म (जिसे मेडिकल ट्रैवल, हेल्थ टूरिज्म या ग्लोबल हेल्थकेयर भी कहा जाता है) वह प्रक्रिया है जिसमें लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर स्वास्थ्य सेवाओं की खोज में यात्रा करते हैं।
- भारत का मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र एक वैश्विक परिघटना बन चुका है, जो विभिन्न महाद्वीपों से रोगी को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं के लिए आकर्षित करता है।
- सिर्फ 2023 में ही भारत ने 6,35,000 से अधिक विदेशी मेडिकल टूरिस्टों का स्वागत किया, और यह संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

### भारत विशेष क्यों है?

- **रोगी लागत में दक्षता:** अमेरिका में जिसकी सर्जरी की लागत \$100,000 से अधिक होती है, वही भारत में मात्र \$10,000–\$20,000 में की जा सकती है।

- ▲ NRIs प्रमुख प्रक्रियाओं पर 60–90% तक की बचत करते हैं।
- ▲ भारत के अस्पताल हृदय बायपास से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट तक उन्नत देखभाल वैश्विक लागत के एक अंश पर प्रदान करते हैं।
- ▲ यहाँ तक कि दवाएं भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तुलना में 90% तक सस्ती होती हैं।
- रोगी NRIs के लिए बीमा और वित्तीय सुरक्षा: विगत वर्ष में NRIs के बीच स्वास्थ्य बीमा अपनाने में 150% से अधिक की वृद्धि हुई है।
  - ▲ 35 वर्ष से कम उम्र के युवा NRIs ने इस वृद्धि का नेतृत्व किया, जिसमें 148% की वृद्धि देखी गई, जबकि महिला खरीदारों में 125% की बढ़ोतरी हुई।
  - ▲ गौरतलब है कि 60% NRIs अपने भारत में रहने वाले बुजुर्ग माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीद रहे हैं।
  - ▲ भारत में प्रीमियम अमेरिका या खाड़ी देशों की तुलना में 25–40 गुना सस्ते हैं।
- रोगी मेट्रो शहरों से आगे बढ़ती पहुँच: मेडिकल टूरिज्म अब केवल दिल्ली, मुंबई या चेन्नई तक सीमित नहीं है।
  - ▲ हैदराबाद, कोच्चि, अहमदाबाद जैसे टियर-2 शहर और त्रिशूर, कोल्लम, ठाणे जैसे टियर-3 शहर अब स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।
  - ▲ बेहतर उड़ान संपर्क और सरल वीजा प्रक्रियाएं इन शहरों को NRIs के लिए अधिक सुलभ बना रही हैं।
- रोगी विश्वस्तरीय अवसंरचना: भारतीय अस्पताल उन्नत डायग्नोस्टिक और सर्जिकल तकनीकों से लैस हैं, और कई डॉक्टर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित हैं।
- रोगी कम प्रतीक्षा समय: विकसित देशों की तुलना में प्रक्रियाएं अधिक शीघ्रता से निर्धारित की जाती हैं, जिससे गंभीर देखभाल में देरी कम होती है।
- रोगी अंग्रेजी में दक्षता: अधिकांश चिकित्सा पेशेवर धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय रोगी के लिए संवाद आसान होता है।

## भारत में मेडिकल और स्वास्थ्य पर्टन से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ

- रोगी गुणवत्ता आश्वासन और विनियमन:
  - ▲ अनियंत्रित विस्तार: वेलनेस सेंटरों की बढ़ती संख्या ने असंगत सेवा मानकों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
  - ▲ प्रमाणीकरण की कमी: यद्यपि NABH और AYUSH ने दिशा-निर्देश बनाए हैं, सभी केंद्र उनका पालन नहीं करते, जिससे रोगी की सुरक्षा और विश्वास पर प्रभाव पड़ता है।
  - ▲ चिकित्सकीय नैतिकता: कुछ मामलों में आक्रामक मार्केटिंग और उपचार परिणामों में पारदर्शिता की कमी से नैतिक प्रश्न उठे हैं।
- रोगी सुलभता:
  - ▲ लॉजिस्टिक चुनौतियाँ: अंतरराष्ट्रीय रोगी को वीजा प्रक्रिया, अस्पताल चयन और यात्रा समन्वय में कठिनाइयाँ आती हैं।
- रोगी लागत पारदर्शिता और बीमा:
  - ▲ छिपी हुई लागतें: भारत की किफायती छवि के बावजूद, स्पष्ट मूल्य संरचना की कमी से विदेशी रोगी को अप्रत्याशित व्ययों का सामना करना पड़ सकता है।
  - ▲ सीमित बीमा समावेशन: कई अंतरराष्ट्रीय बीमा प्रदाता भारत में उपचार को कवर नहीं करते, जिससे वित्तीय अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
- रोगी मरीज की सुरक्षा और कानूनी उपाय:
- सीमित कानूनी सुरक्षा: विदेशी रोगी को लापरवाही या चिकित्सा त्रुटियों के मामलों में न्याय प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
- संक्रमण नियंत्रण और स्वच्छता: कुछ सुविधाओं में अपर्याप्त स्वच्छता से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने पर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है।

## सरकारी पहलें रोगी

- हील इन इंडिया पोर्टल: अंतरराष्ट्रीय रोगी को अस्पताल खोजने, अपॉइंटमेंट बुक करने और यात्रा समन्वय में सहायता हेतु एक डिजिटल मंच।

- रोगी ई-मेडिकल वीज़ा:** 167 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध, जिससे भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सरल होती है।
- रोगी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट्स:** राज्य सरकारों, अस्पतालों और उद्योग नेताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित।

### भारत में स्वास्थ्य पर्यटन

- भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणालियाँ — आयुर्वेद, योग, सिद्ध और प्राकृतिक चिकित्सा — अब स्वास्थ्य पर्यटन रणनीति का केंद्र हैं। पर्यटन मंत्रालय इसे निम्नलिखित माध्यमों से बढ़ावा देता है:
  - रोगी वेलनेस सेंटर्स का प्रमाणीकरण:** NABH और AYUSH के साथ साझेदारी में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना।
  - रोगी मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस (MDA):** वेलनेस सेवा प्रदाताओं को वैश्विक आयोजनों में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता।
  - रोगी आयुष वीज़ा श्रेणी:** आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी उपचार की तलाश में आने वाले यात्रियों के लिए विशेष वीज़ा श्रेणी।
- यह उन यात्रियों को आकर्षित करता है जो निवारक देखभाल, कायाकल्प और आध्यात्मिक उपचार की खोज में हैं।

Source: TH

### भारत के उच्च उत्सर्जन क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन

#### समाचार में

- सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत को 2030 तक चार प्रमुख उत्सर्जन-गहन क्षेत्रों — इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा और सड़क परिवहन — का डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए अतिरिक्त \$467 अरब की आवश्यकता होगी।

### डीकार्बोनाइजेशन का अर्थ क्या है?

- डीकार्बोनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड (या उसके समकक्ष) के उत्सर्जन को कम किया जाता है ताकि ग्रीनहाउस गैसों का कुल उत्सर्जन घटाया जा सके।
- पेरिस समझौते के अनुसार, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना वैश्विक तापमान मानकों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- इस प्रक्रिया में पवन, सौर और बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग शामिल होता है।

### भारत के उत्सर्जन-गहन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता

- इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा और सड़क परिवहन — ये चार क्षेत्र भारत के CO<sub>2</sub> उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं।
  - इनका कार्बन फुटप्रिंट कम करना वैश्विक और राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान(NDCs) को पूरा करने के लिए गहन क्षेत्रीय सुधारों की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता:** PM2.5 और NO<sub>x</sub> स्तरों में इन क्षेत्रों का बड़ा योगदान है, जिससे शहरी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ऊर्जा सुरक्षा:** जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने से रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ती है और आयात बिल घटता है।
- आर्थिक प्रतिस्पर्धा:** वैश्विक बाजार अब कम-कार्बन आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर बढ़ रहे हैं; भारत को हरित संक्रमण के बिना व्यापारिक लाभ खोने का जोखिम है।

### चुनौतियाँ

- पर्यावरणीय अनिवार्यता:** भारत में 70% से अधिक विद्युत अभी भी कोयले से आती है; इसे चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर विस्तार आवश्यक है।

- प्रौद्योगिकी अंतराल:** ग्रीन हाइड्रोजन, CCS (कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज), और बैटरी स्टोरेज जैसी तकनीकें अभी भी महंगी और अपर्याप्त रूप से विकसित हैं।
- नियामक विखंडन:** केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच अधिकारों की ओवरलैपिंग से कार्यान्वयन धीमा होता है।
- वित्तीय आवश्यकताएँ:** भारत को 2030 तक अपने चार सबसे बड़े उत्सर्जन क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए अनुमानित \$467 अरब की आवश्यकता है।
  - इस्पात और सीमेंट — जिन्हें डीकार्बोनाइज करना सबसे कठिन है — को इस निवेश का बड़ा हिस्सा चाहिए (\$251B और \$141B क्रमशः), मुख्यतः CCS जैसी तकनीकों के लिए।
  - ऊर्जा क्षेत्र, जो पहले से नवीकरणीय की ओर बढ़ रहा है, को \$47B की आवश्यकता है।
  - सड़क परिवहन को \$18B की आवश्यकता है।
- जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों में कार्यरत लाखों लोगों को पुनः कौशल प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होगी।

### प्रगति

- भारत ने ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है — अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है, जो पेरिस समझौते के तहत 2030 के लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले है।
- यह प्रगति सुदृढ़ नीति नेतृत्व को दर्शाती है, विशेष रूप से PM-KUSUM और PM Surya Ghar जैसी योजनाओं के माध्यम से, जिन्होंने किसानों और घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त किया है।
- यूटिलिटी-स्केल सोलर पार्क, पवन ऊर्जा और बायोएनर्जी ने तेजी से विस्तार किया है, जिससे ग्रामीण रोजगार, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और वायु प्रदूषण में कमी जैसे सह-लाभ प्राप्त हुए हैं।
- भारत की यह उपलब्धि उसे एक वैश्विक जलवायु नेता के रूप में स्थापित करती है, जो समानता और सतत जीवनशैली का समर्थन करता है।

### सुझाव और आगे की राह

- भारत का समय से पूर्व 50% गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करना उसके सतत विकास के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह सिद्ध करता है कि आर्थिक विकास और डीकार्बोनाइजेशन साथ-साथ संभव हैं।
- भारत को 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट-ज़रीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साहसी, समावेशी और तकनीक-प्रेरित मार्ग अपनाना होगा।
- प्रमुख उत्सर्जन-गहन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए भारत को क्षेत्र-विशिष्ट रोडमैप, स्पष्ट माइलस्टोन, ग्रिड आधुनिकीकरण और सुदृढ़ सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता है।

Source :IE

### मानसून की तीव्रता के बीच उर्वरक की कमी संदर्भ

- 2025 में दक्षिण-पश्चिम मानसून का संतुलित वितरण खरीफ बुवाई को बढ़ावा देने के साथ-साथ उर्वरकों की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि का कारण बना है।

### उर्वरक बिक्री पर प्रभाव

- अच्छा मानसून मृदा की आर्द्रता, जलाशयों की भराई और भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित करता है, जिससे अधिक बुवाई होती है और उसी अनुपात में उर्वरकों का उपयोग भी बढ़ता है।
- उर्वरक फसलों की वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं — जैसे नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटैशियम (K) और सल्फर (S)।
- भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- आपूर्ति-पक्ष की बाधाएँ**
  - मांग में तीव्र वृद्धि हुई, लेकिन आपूर्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकी।

- घरेलू यूरिया उत्पादन अप्रैल-जुलाई 2024 में 102.1 लाख टन से घटकर अप्रैल-जुलाई 2025 में 93.6 लाख टन रह गया, जबकि DAP उत्पादन 13.7 लाख टन पर स्थिर रहा।
- आयात में भी गिरावट आई है, मुख्यतः चीन से आपूर्ति प्रतिबंधों के कारण, जो भारत को उर्वरक निर्यात करने वाला प्रमुख देश रहा है।

**TABLE 1 | SALE OF MAJOR FERTILISER PRODUCTS**

	2023-24	2024-25	Apr-Jul 2024	Apr-Jul 2025	%Growth
Urea	357.80	387.74	108.86	124.28	14.2
DAP	108.12	92.81	29.44	25.68	-12.8
NPKS	110.73	142.14	39.34	50.03	27.2
SSP	45.44	49.28	15.55	20.01	28.7
MOP	16.45	22.02	4.94	7.05	42.8

Source: The Fertiliser Association of India.

**Type of fertilizers**

Sole Fertilizers	Mixed/Complex Fertilizers	Micronutrients Fertilizers
Contain only one primary nutrient	Contain two or more primary nutrients	Supply elements needed in small amounts
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nitrogenous           <ul style="list-style-type: none"> <li>Urea</li> <li>Ammonium Sulphate</li> <li>Calcium Ammonium Nitrate</li> </ul> </li> <li>Phosphatic           <ul style="list-style-type: none"> <li>Single Super Phosphate</li> <li>Triple Super Phosphate</li> </ul> </li> <li>Potassic           <ul style="list-style-type: none"> <li>Muriate of Potash</li> <li>Potassium Sulphate</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di-Ammonium Phosphate (18:46:0)</li> <li>Nitro-Phosphate (20:20:0)</li> <li>NPK (19:19:19; 20:20:20)</li> <li>Ammonium Phosphate Sulphate (16:20:0)</li> <li>Calcium Ammonium Nitrate (8% Ca, 21-27% N)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chelated Compounds           <ul style="list-style-type: none"> <li>Zn-EDTA, Fe-EDTA</li> </ul> </li> <li>Inorganic Salts           <ul style="list-style-type: none"> <li>Zinc Sulphate</li> <li>Copper Sulphate</li> <li>Ferrous Sulphate</li> <li>Manganese Sulphate</li> </ul> </li> </ul>

Source: NCERT

**उर्वरकों की सब्सिडी संरचना और मूल्य निर्धारण की गतिशीलता**

- यूरिया सब्सिडी योजना:** इस योजना के अंतर्गत किसानों को यूरिया एक निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उपलब्ध कराया जाता है। 45 किलोग्राम यूरिया की थैली का MRP ₹242 है (नीम कोटिंग और लागू करों को छोड़कर), जबकि वास्तविक लागत लगभग ₹3,000 प्रति थैली है।
- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति:** इसका उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें सब्सिडी को अंतिम उत्पाद के बजाय पोषक तत्वों (N, P, K, S) की मात्रा से जोड़ा जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक पोषक तत्व के लिए प्रति किलोग्राम एक निश्चित सब्सिडी राशि निर्धारित करती है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में:**
  - यूरिया सब्सिडी ₹1.19 लाख करोड़ निर्धारित की गई है।
  - NPK सब्सिडी लगभग ₹0.49 लाख करोड़ निर्धारित की गई है। यह सरकार की विशाल राजकोषीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

**उर्वरक क्षेत्र में सरकार की पहलें**

- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना:** 2010 में फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों के लिए शुरू की गई।
- इस योजना के अंतर्गत DAP सहित P और K उर्वरकों को उनके पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी दी जाती है।
- वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना:** उर्वरक क्षेत्र में ब्रांडिंग की एक रूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई।
- PM PRANAM योजना:** “PM मातृ-पृथ्वी के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम (PMPRANAM)” इस योजना का उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

**आगे की राह**

- पूर्वानुमान आधारित मांग योजना:** अच्छे मानसून वाले वर्षों में उर्वरक की कमी से बचने के लिए फसल क्षेत्र के पैटर्न के अनुसार उर्वरक आवंटन को समन्वित करना आवश्यक है।
- विविध आयात स्रोत:** DAP और यूरिया के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता से असुरक्षा उत्पन्न होती है; कई आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक अनुबंध आवश्यक हैं।
- क्षमता विस्तार:** “आत्मनिर्भर भारत” के अंतर्गत घरेलू यूरिया संयंत्रों की शीघ्र स्थापना से आयात पर निर्भरता कम होगी।

- सतत कृषि पद्धतियाँ:** नैनो-यूरिया, जैविक उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का व्यापक उपयोग समय के साथ रासायनिक उर्वरकों की तीव्रता को कम कर सकता है।

Source: IE

## एंड्रॉइड पैकेज किट (APK) धोखाधड़ी में वृद्धि

### संदर्भ

- बैंकों ने ग्राहकों को एंड्रॉइड पैकेज किट(APK) धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की नई चेतावनी जारी की है।


### एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (APK) धोखाधड़ी

- APK धोखाधड़ी एक फिशिंग स्कैम है जिसमें अपराधी

दुर्भावनापूर्ण एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (APK) फ़ाइलों भेजते हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को उन्हें डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये अपराधी प्रायः बैंक या सरकारी अधिकारियों जैसे विश्वसनीय संस्थानों का प्रतिरूपण करते हैं।

- एक बार इंस्टॉल हो जाने पर, ये धोखाधड़ी वाले ऐप्स उपयोगकर्ता के डिवाइस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, वित्तीय जानकारी (OTP और PIN सहित) चुरा लेते हैं और बिना सहमति के अवैध लेन-देन करते हैं।
- एक बार प्रसारित होने के बाद, उसी APK फ़ाइल को इंटरफ़ेस में मामूली बदलाव के साथ दोबारा उपयोग किया जाता है, जिससे यह पहले से ब्लैकलिस्ट किए गए संस्करणों के बावजूद पहचान से बच निकलती है।

## The ABC of .APK hack



- साइबर अपराध में वृद्धि के कारण तीव्र डिजिटलीकरण:** जैसे-जैसे अधिक व्यक्ति और व्यवसाय इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों पर निर्भर हो रहे हैं, साइबर अपराधियों के लिए कमजोरियों का लाभ उठाने के अवसर बढ़ रहे हैं।
- अपर्याप्त साइबर सुरक्षा अवसंरचना:** भारत में साइबर सुरक्षा अवसंरचना अभी विकासशील है।
  - कई संगठन, विशेष रूप से छोटे व्यवसाय, सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों के अभाव में साइबर अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं।

- आंतरिक खतरे:** कर्मचारियों या संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए उसका दुरुपयोग करना भारत में विशेष रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र में एक गंभीर चिंता है।
- भुगतान प्रणालियों की संवेदनशीलता:** डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेन-देन के बढ़ने से फ़िशिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और ऑनलाइन स्कैम जैसे वित्तीय अपराधों का खतरा बढ़ गया है।
- कम डिजिटल साक्षरता:** आम जनता में जागरूकता की कमी और देशों के बीच डिजिटल अंतर साइबर क्षेत्र में अस्थिर वातावरण बनाते हैं।
- संवेदनशील जनसंख्या:** कई वरिष्ठ नागरिक UPI की विशेषताओं से परिचित नहीं हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।

### साइबर सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** इसके अनुच्छेद 43, 66, 70 और 74 हैंकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।
- भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In):** यह नियमित रूप से नवीनतम साइबर खतरों/कमज़ोरियों और उनके समाधान के बारे में अलर्ट और परामर्श जारी करती है ताकि कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC):** इसे मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों की स्थिति की जानकारी उत्पन्न करने और समय पर जानकारी साझा करने के लिए स्थापित किया गया है ताकि व्यक्तिगत संस्थाएं सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कार्रवाई कर सकें।
- साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र):** इसे दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों की पहचान के लिए शुरू किया गया है और यह उन्हें हटाने के लिए मुफ्त उपकरण प्रदान करता है।
- चक्षु सुविधा:** यह संचार साथी पोर्टल पर हाल ही में शुरू की गई सुविधा है जो नागरिकों को कॉल, SMS

- या WhatsApp के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** इसे 2018 में गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
    - यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) को साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक रूप से निपटने के लिए एक ढांचा एवं पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है।

### अंतर्राष्ट्रीय उपाय

- बुडापेस्ट कन्वेंशन:** यह साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
  - भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (ICANN):** यह एक अमेरिकी गैर-लाभकारी संगठन है जो कई डेटाबेस के समन्वय और रखरखाव के लिए कार्य करता है।
- इंटरनेट गवर्नेंस फोरम:** यह इंटरनेट शासन मुद्दों पर बहु-हितधारक नीति संवाद के लिए संयुक्त राष्ट्र का मंच है।
- आगे की राह** उन्नत खतरा पहचान प्रणाली, AI-संचालित निगरानी और सुरक्षित डिजिटल भुगतान गेटवे में निवेश बढ़ाया जाए ताकि कमज़ोरियों को कम किया जा सके।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** को शीघ्र लागू किया जाए ताकि उपयोगकर्ता की जानकारी सुरक्षित की जा सके और लीक हुए डेटाबेस के दुरुपयोग को रोका जा सके।
- विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों जैसे संवेदनशील समूहों को लक्षित करते हुए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अभियान चलाए जाएं ताकि डिजिटल साक्षरता और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके।**

Source: TH

## एआई, अकेलापन और साथी का भ्रम

### संदर्भ

- उपयोगकर्ताओं ने एआई को सहानुभूतिपूर्ण, सहायक बताया और ये प्रतिक्रियाएं एक गहरे सामाजिक मुद्दे को रेखांकित करती हैं: बढ़ता अकेलापन और मानवीय भावनात्मक अंतराल को भरने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका।

### एआई साथीपन का विचार

- पैरासोशल संबंधों का पुनर्जन्म:** पहले यह शब्द मशहूर हस्तियों के साथ एकतरफा संबंधों के लिए प्रयोग होता था।
  - एआई चैटबॉट्स के साथ यह संबंध द्विपक्षीय प्रतीत होता है, हालांकि वास्तव में केवल एक पक्ष जीवित होता है।
- सहानुभूति का भ्रम:** चैटबॉट्स को व्यक्तिगत विवरण याद रखने, पुष्टि देने और धैर्य का अनुकरण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह गर्मजोशी स्वाभाविक नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित होती है।

### वर्तमान प्रासंगिकता

- एक सामाजिक संकट के रूप में अकेलापन:** अत्यधिक कनेक्टिविटी के बावजूद, लोगों के पास समय और सार्थक श्रोता की कमी है।
- एक लाभकारी प्लेसीबो के रूप में तकनीक:** कंपनियाँ एआई साथी, मित्र या मार्गदर्शक के रूप में बाज़ार में उतारकर साथीपन का मुद्रीकरण करती हैं।
  - मानव त्रुटियाँ—अधीरता, टकराव, पक्षपात—हटा दी जाती हैं, जिससे एआई एक “परिपूर्ण” विकल्प प्रतीत होता है।
- एक अरब डॉलर का बाज़ार:** नास्टिआ जैसे ऐप्स अनसेंसर्ड रोमांटिक एआई विकल्प प्रदान करते हैं, जिनमें चेहरा, आवाज़ और व्यक्तित्व को अनुकूलित किया जा सकता है।

### कानूनी और नैतिक आयाम

- वैश्विक समानताएँ:** कुछ क्षेत्रों में निगमों को कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त है; नदियों और जानवरों को भी।

▲ यदि यह अधिकार एआई को दिया जाए तो कानूनी ढांचे में मौलिक परिवर्तन होगा।

- जोखिम:** भावनात्मक निर्भरता, वास्तविकता और भ्रम की सीमाओं का धुंधलापन, और संवेदनशील व्यक्तियों का शोषण।

### भारत के लिए प्रभाव

- सामाजिक:** भारत में बढ़ते शहरी अकेलेपन और मानसिक स्वास्थ्य संकट के चलते एआई साथियों की मांग तीव्रता से बढ़ सकती है।
- आर्थिक:** स्वास्थ्य सेवा, वृद्ध देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन में एआई-आधारित स्टार्टअप्स की संभावनाएँ हैं—लेकिन अत्यधिक निर्भरता का जोखिम भी है।
- नियामक:** भारत में एआई अधिकार या व्यक्तित्व का स्पष्ट ढांचा नहीं है।
  - वर्तमान नीति डेटा सुरक्षा, पक्षपात और जवाबदेही पर केंद्रित है, साथीपन पर नहीं।
- नैतिक:** प्रश्न यह है—क्या एआई को मानव संबंधों की जगह लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, विशेष रूप से उस समाज में जो पहले से ही सामाजिक विखंडन का सामना कर रहा है?

### आगे की राह

- नियामक सुरक्षा:** भारत को स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करना चाहिए कि एआई को अधिकार या व्यक्तित्व नहीं दिया जा सकता, साथ ही एआई साथीपन ऐप्स में उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।
- मानसिक स्वास्थ्य समर्थन:** एआई उपकरण पूरक हो सकते हैं, लेकिन पेशेवर सहायता का विकल्प नहीं।
  - जागरूकता अभियान अत्यधिक निर्भरता के प्रति सावधानी बरतने चाहिए।
- नैतिक डिज़ाइन:** डेवलपर्स को ऐसे विशेषताओं से बचना चाहिए जो निर्भरता को गहरा करें।
  - एआई की गैर-सजीवता की पारदर्शिता अनिवार्य होनी चाहिए।
- सामाजिक सुधार:** अकेलेपन से निपटने के लिए सामुदायिक स्थानों को सुदृढ़ करना, कार्य-जीवन संतुलन

और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है—केवल तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं हैं।

**Source:** IE

## संक्षिप्त समाचार

### जनसंख्या जनगणना-2027

#### संदर्भ

- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने जनगणना 2027 के संचालन हेतु ₹14,618.95 करोड़ के बजट की मांग की है। यह प्रथम “डिजिटल जनगणना” होगी और इसमें जाति से संबंधित आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे।

#### परिचय

- जनसंख्या जनगणना-2027 को दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जातियों की गणना भी शामिल होगी।
  - जनगणना के संचालन के लिए 35 लाख से अधिक गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो 2011 की जनगणना में नियुक्त 27 लाख कर्मियों की तुलना में 30% अधिक हैं।

#### भारत में जनगणना

- जनगणना किसी क्षेत्र की जनसंख्या का सर्वेक्षण है, जिसमें देश की जनसांख्यिकी जैसे आयु, लिंग और व्यवसाय से संबंधित विवरण एकत्र किए जाते हैं।
- इतिहास:** W.C. प्लोडेन, भारत के जनगणना आयुक्त के नेतृत्व में प्रथम समकालिक दशकीय (प्रत्येक दस वर्ष में) जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी, जो 1872 की असमकालिक पहल पर आधारित थी।
  - स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी और तब से यह प्रत्येक दशक के पहले वर्ष में होती रही है।
- संवैधानिक प्रावधान:** संविधान जनगणना करने का निर्देश देता है, लेकिन जनगणना अधिनियम 1948 इसकी समय-सीमा या आवृत्ति को निर्दिष्ट नहीं करता।

- प्रशासनिक व्यवस्था:** जनसंख्या जनगणना का संचालन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

**Source:** IE

## “आदि वाणी” का बीटा संस्करण

#### समाचार में

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने “आदि वाणी” ऐप का बीटा संस्करण लॉन्च किया है।

#### आदि वाणी के बारे में

- यह एक एआई-संचालित अनुवाद उपकरण है जिसे भविष्य के जनजातीय भाषाओं के लिए बड़े भाषा मॉडल को समर्थन देने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- यह उन्नत तकनीक को सामुदायिक प्रयासों के साथ जोड़ता है ताकि भारत में जनजातीय भाषाओं और संस्कृतियों की रक्षा एवं पुनर्जीवन किया जा सके।
- यह भारत का प्रथम एआई-संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है, जिसे ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- आदि वाणी इन भाषाओं का समर्थन करता है:

- संथाली (ओडिशा)
- भीली (मध्य प्रदेश)
- मुंडारी (झारखण्ड)
- गोंडी (छत्तीसगढ़)

- अगले चरण में विकसित की जा रही भाषाएँ: कुई और गारो

#### महत्व

- भारत में कुल 461 जनजातीय भाषाएँ हैं, जिनमें से 81 को “असुरक्षित” और 42 को “गंभीर रूप से संकटग्रस्त” माना गया है, मुख्यतः सीमित दस्तावेजीकरण और पीढ़ीगत हस्तांतरण के कारण।
- आदि वाणी एआई का उपयोग करके इन जनजातीय भाषाओं का डिजिटलीकरण, संरक्षण और पुनर्जीवन करता है।

- इसका उद्देश्य संवाद की खाई को पाठना और संकटग्रस्त जनजातीय भाषाओं को संरक्षित करना है।

Source :PIB

## ગुजરात में भारत की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग प्रणाली

### समाचार

- भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) और ICICI बैंक ने NH-48 पर गुजरात के चोर्यासी शुल्क प्लाजा में भारत की प्रथम व्यापक मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

### मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग

- यह एक बाधा-रहित टोलिंग प्रणाली है जो उच्च-प्रदर्शन RFID रीडर्स और ANPR कैमरों द्वारा FASTag और वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) को पढ़कर लेनदेन को सक्षम बनाती है।
- यह शुल्क प्लाजा पर वाहनों को रोके बिना निर्बाध टोल संग्रह को सक्षम बनाता है, जिससे भीड़भाड़ और यात्रा का समय कम होता है जिससे ईंधन दक्षता में वृद्धि और उत्सर्जन में कमी आती है।
- यह टोल राजस्व संग्रह में सुधार और देश भर में एक स्मार्ट, तीव्र एवं अधिक कुशल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाने में भी योगदान देगा।

Source :PIB

## ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम मानदंडों में परिवर्तन संदर्भ

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बंजर भूमि पर वृक्षारोपण और छायाच्छादन के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट की गणना की नई कार्यप्रणाली संबंधी अधिसूचना जारी की है।

### नियमों में प्रमुख परिवर्तन

- पाँच-वर्षीय मानक:** पहले दो वर्षों की शर्त को हटाकर अब पुनर्स्थापन कार्य के पाँच वर्षों की पूर्णता के बाद ही क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे।

- छायाच्छादन आधारित मूल्यांकन:** क्रेडिट तभी दिए जाएंगे जब वृक्षारोपण से न्यूनतम 40% छायाच्छादन घनत्व प्राप्त हो और वृक्ष जीवित रहें।
- नई गणना विधि**
  - प्रत्येक जीवित वृक्ष (जो पाँच वर्ष से अधिक पुराना हो) के लिए एक ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।
  - मूल्यांकन और सत्यापन नामित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- गैर-व्यवसायिक क्रेडिट**
  - वृक्षारोपण क्रेडिट न तो व्यापार योग्य हैं और न ही हस्तांतरणीय, सिवाय होलिडंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के बीच।
  - पहले के बाजार आधारित व्यापार प्रावधान को कमजोर किया गया है।
- अनुमत उपयोग क्रेडिट का एक बार उपयोग किया जा सकता है:**
  - प्रतिपूरक वनीकरण दायित्वों के लिए
  - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) आवश्यकताओं के लिए
  - अन्य कानूनी वृक्षारोपण दायित्वों के लिए
  - पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) संकेतकों के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए

### ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (GCP)

- GCP एक नवाचारी बाजार आधारित तंत्र है जिसे 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया।
- हितधारक:** व्यक्ति, समुदाय, निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ और कंपनियाँ।
- शासन ढांचा:**
- अंतर-मंत्रालयीय संचालन समिति निगरानी प्रदान करती है।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) प्रशासक है, जो कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- अब तक 57,986 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त वन भूमि GCP के अंतर्गत पंजीकृत की जा चुकी है।

Source: IE

## ओर्कास

### संदर्भ

- शोधकर्ताओं ने हाल ही में पाया है कि कई ऑर्का (killer whales) ताजा मारे गए शिकार को इंसानों के साथ साझा करते हैं।


### परिचय

- ऑर्का डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति हैं और इन्हें प्रायः “किलर व्हेल” कहा जाता है।
- ऑर्का को सामाजिक प्रवृत्ति वाले जानवरों के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे सामान्यतः इंसानों के साथ बहुत कम संपर्क करते हैं।
- हालिया संपर्कों से मनुष्यों की ऑर्का के प्रति जिज्ञासा

बढ़ सकती है और संरक्षण प्रयासों को भी बल मिल सकता है।

### ऑर्का

- ऑर्का, जिन्हें किलर व्हेल भी कहा जाता है, विश्व के सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले समुद्री स्तनधारियों में से हैं।
- वैज्ञानिक नाम:** ओर्सिनस ऑर्का
- परिवार:** डेल्फिनिडे (ये डॉल्फिन परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं)
- वितरण:** ये सभी महासागरों में पाए जाते हैं — आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों से लेकर उष्णकटिबंधीय समुद्रों तक।



### विशेषताएँ

- विशिष्ट काले-सफेद रंग संयोजन, प्रत्येक आँख के पास सफेद धब्बा।
- अत्यंत बुद्धिमान और सामाजिक जीव, जो “पॉड” नामक समूहों में रहते हैं (5 से 40 तक, कभी-कभी सैकड़ों)।
- शीर्ष शिकारी (इनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता) — ये मछलियाँ, सील, डॉल्फिन, शार्क और यहाँ तक कि बड़े व्हेल का भी शिकार करते हैं।

### व्यवहार

- इकोलोकेशन:** ये ध्वनि तरंगों का उपयोग करके दिशा और शिकार का पता लगाते हैं।
- सहयोगात्मक शिकार:** पॉड मिलकर शिकार करते हैं, जैसे भेड़ियों का झुंड।

- ▲ शिकार की रणनीतियाँ पॉड और क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती हैं।

**Source: TH**

## ब्लू ड्रैगन

### समाचार में

- ज़हरीले ब्लू ड्रैगन समुद्री स्लग के किनारे आ जाने के पश्चात स्पेन के कई समुद्र तट बंद कर दिए गए।

### ब्लू ड्रैगन क्या हैं?

- ब्लू ड्रैगन (ग्लौकस अटलांटिकस) छोटे समुद्री स्लग होते हैं जो समुद्र की सतह पर उल्टा तैरते हैं और उछाल के लिए हवा के बुलबुले का प्रयोग करते हैं।
- उनका नीला और सफेद रंग उन्हें शिकारियों से छिपने में सहायता करता है।



- ‘वे पुर्तगाली मैन ओ’ वार जैसी ज़हरीली जेलीफिश खाते हैं और अपनी डंक मारने वाली कोशिकाओं को उंगली जैसे उपांगों में जमा करते हैं, जिससे उनका डंक उनके शिकार के डंक से अधिक तीव्र होता है।
  - ▲ हालाँकि उनके डंक से इंसानों में गंभीर दर्द और लक्षण हो सकते हैं, लेकिन यह जानलेवा नहीं है।
- ब्लू ड्रैगन प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं।

**Source :IE**

## रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

### संदर्भ

- लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित एक भारतीय गैर-लाभकारी संगठन, ‘फ़ाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली’ को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

### रेमन मैग्सेसे के बारे में

- स्थापना:** 1958, फिलीपींस के सातवें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में, जो अपनी ईमानदारी, साहस और लोकतांत्रिक नेतृत्व के लिए जाने जाते थे।
- स्थापना:** द रॉकफेलर ब्रदर्स फंड (आरबीएफ) द्वारा, फिलीपींस सरकार के साथ साझेदारी में।
- प्रशासन:** द रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन (आरएमएफ), मनीला द्वारा।
- स्वरूप:** एशिया में निस्वार्थ सेवा और परिवर्तनकारी नेतृत्व दिखाने वाले व्यक्तियों या संगठनों को मान्यता देता है।
- प्रतिष्ठा:** एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जो एशिया के नोबेल पुरस्कार के बराबर है।

- 1958 से 2008 तक, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष छह श्रेणियों में दिया जाता था:
  - ▲ सरकारी सेवा, लोक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक संचार कला, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ, और उभरता नेतृत्व।
- 2009 से, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अब उभरता नेतृत्व को छोड़कर, किसी निश्चित पुरस्कार श्रेणी में नहीं दिया जा रहा है।

**Source: AIR**